केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग,
मुनिरका, नई दिल्ली - 110067.

संचिका सं. CICOM/R/2019/00495

दिनांक 15.07.2019

सेवा में,

श्री के. के. गुप्ता,

विषय:- सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचना ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपका दिनांक 21.06.2019 का आर.टी.आई. आवेदन जो कि दिनांक 26.06.2019 को केन्द्रीय सूचना आयोग के आर.टी.आई. प्रकोष्ठ में प्राप्त हुआ, से संबंधित बिंदुवार सूचना निम्नानुसार है :-

बिंदु सं. 1	केन्द्रीय सूचना आयोग में प्रतिवर्ष लगभग तीन हजार आर.टी.आई. आवेदन प्राप्त होते हैं । यदि आपका आशय आर.टी.आई. के तहत प्राप्त द्वितीय अपीलों की सुनवाई से है तो प्रतिवर्ष प्राप्त होने वाले द्वितीय अपीलों का पूर्ण विवरण (प्राप्त द्वितीय अपीलों की संख्या, सुनवाई की संख्या) केन्द्रीय सूचना आयोग की वार्षिक रिपोर्ट जो कि आयोग की वेबसाईट www.cic.gov.in में उपलबध है ।
बिंदु सं. 2	सूचना अधिकार अधिनियम के तहत दंडित किए गए अधिकारी IAS थे, IPS थे या IFS थे, इस तरह का रिकार्ड नहीं रखा जाता है ।
बिंदु सं. 3	मांगी गई सूचना से संबंधित किसी किताब का प्रकाशन केन्द्रीय सूचना आयोग द्वारा नहीं किया गया है ।
बिंदु सं. 4, 5, 6, 7, 8 एव 9	यदि किसी कार्यालय द्वारा कोई सूचना प्रदान नहीं की जाती है अथवा प्रदान की गई सूचना से संतुष्ट न हों तो सूचना प्राप्ति के 30 दिनों के अंदर उसी कार्यालय/विभाग के केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी से वरीय अधिकारी जो प्रथम अपीलीय अधिकारी के रूप में पदनामित हैं, के समक्ष प्रथम अपील दाखिल किया जाना चाहिए । अगर प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा भी कोई सूचना उपलब्ध नहीं करवाई जाती है या प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा जारी किए गए आदेश से भी आप संतुष्ट न हों तो 90 दिनों के भीतर केन्द्रीय सरकार के अंतर्गत कार्यरत कार्यालयों/विभागों के संदर्भ में केन्द्रीय सूचना आयोग तथा राज्य सरकार के अंतगर्त कार्यरत कार्यालयों/विभागों के संदर्भ में संबंधित राज्य सूचना आयोग के समक्ष द्वितीय अपील दाखिल कर सकते हैं । द्वितीय अपील आवेदन के साथ लोक प्राधिकरण से अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत किए गए पत्राचार की छायाप्रतियॉ (स्वअभिप्रमाणित) संलग्न करना आवश्यक होता है, जिनमें सूचना प्राप्ति हेतु आर.टी.आई. आवेदन, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना (यदि सूचना प्रदान की गई हो), प्रथम अपील आवेदन, प्रथम अपीलीय अधिकारी का आदेश (यदि दिया गया हो) । आपके कुछ द्वितीय अपील केन्द्रीय सूचना आयोग में पंजीकृत हैं, कृपया उनकी सुनवाई की प्रतीक्षा करें । द्वितीय अपीलों की स्थिति आयोग की वेबसाईट www.cic.gov.in पर देख सकते हैं ।

यदि आप उपरोक्त सूचना से संतुष्ट नहीं है तो इस सूचना की प्राप्ति के 30 दिनों के अंदर प्रथम अपील श्री आर. के. सिंह, अपर सचिव एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी, केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली - 110067 दूरभाष नं. 011-26162290 पर की जा सकती है ।

16/7/15

(टी. बी. जे. एस. राजप्पा)
केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी,
आर.टी.आई.सेल
दूरभाष - 011-26172690